न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 218/2019

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा–खरवा,
जिला–अजमेर (राज.)।

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) मै0 गोकुल मिनरल्स
प्रोप0 श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री नन्दु सिंह,
प्लाट नं0 03, खसरा नं0 675 पिपलाज काना खेडा,
तह0 मसूदा, जिला– अजमेर(राज.)।

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– रूकसाना अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 18.12.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै0 गोकुल मिनरल्स प्रोप0 श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री नन्दु सिंह, प्लाट नं0 03, खसरा नं0 675 पिपलाज काना खेडा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर को दिनांक 15.03.2016 को 35,00,000/–(अक्षरे पैतीस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथी/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर पिपलाज काना खेडा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर के खसरा नं0 2823/675 (खसरा सं0 675/3 का भाग) में स्थित प्लाट नं0 03, क्षैत्रफल 2022.17 वर्ग गज जो कि श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री नन्दु सिंह के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 13.06.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 29.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बैंक को रूपये–13,99,975.05/– (अक्षरे तेरह लाख निनानवे हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपये व पांच पैसे मात्र) ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित लेना है। ऋणी द्वारा बावजूद नोटिस प्राप्ति के उक्त ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति पिपलाज काना खेडा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर के खसरा नं0 2823/675 (खसरा सं0 675/3 का भाग) में स्थित प्लाट नं0 03, क्षैत्रफल 2022.17 वर्ग गज जो कि श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री नन्दु सिंह के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 18.12.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner